

अक़ीदतमंदी और अमन-ओ-भाईचारे के साथ मनाया गया ईद-उल-अज़हा का पर्व

शहर की 24 नमाज़गाहों में अदा हुई नमाज़, गले मिलकर दी मुबारकबाद और अदा की गई क़ुरबानी, ‘जानवर की क़ुरबानी के साथ हसद, तकब्बुर और बुराइयों की भी क़ुरबानी ज़रूरी’ : शहर काज़ी मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अजहरी

नवभारत न्यूज़
रीवा, 28 मई, इस्लामी कैलेंडर के बारहवें महीने ज़िलहिज्जा की 10 तारीख, दिनांक 28 मई 2026 को पूरे देश के साथ-साथ रीवा शहर एवं जिले में भी क़ुरबानी और त्याग के प्रतीक एवं ईद-उल-अज़हा को पूरी अक़ीदत, शाइस्ग़ी और भाईचारे के माहौल में मनाया गया।
सुबह से ही मुस्लिम समाज के लोग गुस्ल एवं अन्य धार्मिक तैयारियों से फ़ारिग होकर पारंपरिक इस्लामी लिबास में शहर की विभिन्न मस्जिदों एवं नमाज़ स्थलों पर पहुंचे, जहां ईद-उल-अज़हा की द रकअत वाजिब नमाज़ अदा की गई। शरीअत हिलाल तस्दीक़ कमेटी द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शहर एवं आसपास के कुल 24 नमाज़ स्थलों में ईद की नमाज़ का समय तय किया गया था। इसी क्रम में बीहर नदी तट

स्थित मुख्य ईदगाह घोघर, रीवा में लगभग 15 हजार मुस्लिम भाइयों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर ईद-उल-अज़हा की नमाज़ अदा की। यहां शहर काज़ी मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अजहरी साहब ने ईद की नमाज़ पढ़ाई तथा खुल्वा पेश किया।
उक्त आशय की जानकारी प्रेस को जारी करते हुए शरीअत हिलाल तस्दीक़ कमेटी के सेक्रेटरी एडवोकेट महमूद खान ने बताया कि ईदगाह में उपस्थित नमाज़ियों को संबोधित करते हुए शहर काज़ी मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अजहरी ने कहा कि ईद-उल-अज़हा केवल जानवर की क़ुरबानी का पर्व नहीं है, बल्कि यह त्याग, सब्र और अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी सबसे प्रिय चीज़ को कुर्बान करने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि हम हजारत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा



रखते हुए क़ुरबानी अदा करते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ हमें अपने अंदर मौजूद तकब्बुर (घमंड), हसद (ईर्ष्या), नफ़रत और अन्य बुराइयों की भी क़ुरबानी देनी चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी इस्लाम की शिक्षाओं और उसूलों के अनुरूप बन सके। अपने ख़िताब के दौरान शहर काज़ी ने समाज में व्याप्त कुछ ग़ैर-ज़रूरी रस्मों पर भी चिंत व्यक्त की। उन्होंने कहा

कि ग़मी के मौकों पर तीज़ा, चालिसवां आदि में दावत की जो परंपरा चल पड़ी है, वह शरीअत के अनुसार जायज़ नहीं है, इसलिए समाज को ऐसी रस्मों से बचना चाहिए। इसी तरह निकाह कि आसान करना चाहिए, निकाह में खर्च करने से बेहतर है अपने बच्चों की तालीम में खर्च किया जाय। नमाज़ के बाद शहर काज़ी ने मुल्क में अमन, चैन,

तर्ककी और खुशहाली के लिए विशेष दुआ की। साथ ही हज़ पर गए हाजियों के हज़ की क़ुबूलियत तथा मुस्लिम समाज द्वारा की जा रही क़ुरबानी को अल्लाह की बारगाह में कबूल किए जाने की दुआ मांगी गई।
शहर की अन्य 23 मस्जिदों एवं नमाज़गाहों में भी स्थानीय पेश इमामों द्वारा ईद-उल-अज़हा की नमाज़ अदा कराई गई। वहीं केंद्रीय जेल रीवा में

बंद मुस्लिम बंदियों के लिए भी शरीअत हिलाल तस्दीक़ कमेटी द्वारा नियुक्त पेश इमाम मौलाना रऊफ़ रज़वी ने जेल परिसर स्थित मस्जिद में ईद की नमाज़ अदा कराई। त्योहार के अवसर पर ज़िला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा कमेटी की मांग के अनुरूप सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। नमाज़ स्थलों एवं उससे जुड़े मार्गों पर यातायात, सुक्षा

एवं अन्य व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रहीं नमाज़ के उपरांत मुस्लिम भाइयों ने अपने-अपने घरों में सुन्नत-ए-इब्राहीमी के तहत क़ुरबानी अदा की। क़ुरबानी का सिलसिला 30 मई तक जारी रहेगा। त्योहार को लेकर बच्चों एवं युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। वहीं विभिन्न स्थानों पर हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों से गले मिलकर ईद-उल-अज़हा की मुबारकबाद पेश की, जिससे गंगा-जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। रीवा जिले के अन्य कस्बाई एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी ईद-उल-अज़हा का पर्व पूरी अक़ीदत और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया गया। त्योहार के शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण संपन्न होने पर शरीअत हिलाल तस्दीक़ कमेटी के सदर एवं शहर काज़ी मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अजहरी, नायब सदर काज़ी नजीर

खान, सेक्रेटरी एड. महमूद खान, खज़ांची अनस अब्बासी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद आबाद खान सहित कमेटी के सम्मानित सदस्यों क़् हाजी डॉ. अनीस सिद्दीकी, एड. शौकत उमर निज़ामी, मोइनुद्दीन शेख, अली अहमद, हाजी यामीन खान, डॉ. शोएब खान, डॉ. महमूद खान, समीउल्लाह बब्बू, जावेद अंसारी, हाजी निज़ाबत, शौकत अली, परवेज़ मुस्तफा, डी.डी. खान, निज़ामुद्दीन अंसारी, मुनुव्वर अली, इक़बाल खान, आसिफ़ खान, मसूदुल हक़, आकिब खान, मोहम्मद अली अंसारी, वसीउल्लाह अंसारी, इस्लाम सेजानक़ारी दी गई। इसके अलावा, रिजवान सिद्दीक़ी, शहीद खान आदि ने समस्त प्रशासनिक अधिकारियों, समाज के सभी वर्गों तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति आभार एवं शुक्रिया अदा किया है।

सिलपरा में मालगाड़ी की टक्कर से युवक की मौत

रीवा-सीधी रेलवे ट्रैक पर हादसों की हुई शुरुआत

नवभारत न्यूज़
रीवा, 28 मई, रीवा सीधी रेलवे ट्रैक पर सिलपरा के समीप आज सुबह तकरीबन 8 बजे मालगाड़ी की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई घटना के बाद परिलख मौके पर पहुंचे हैं और रेलवे पुलिस को घटना की सूचना दी गई है खबर लिखे जाने तक रेलवे पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी फिलहाल परजिन रेलवे पुलिस का इंतजार कर रहे हैं

घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह 8 बजे बघवार सीमेंट फैक्ट्री से रीवा की ओर आ रही मालगाड़ी की टक्कर से एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई. बताया गया है कि सिलपरा के समीप निर्माणाधीन सड़क में बतौर श्रमिक काम करने वाला युवक रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था इसी दौरान अचानक मालगाड़ी आ गई जिसकी टक्कर से उसकी

मौत हो गई. काफी देर तक जब युवक लौटकर नहीं आया तो परजिन उसे तलाशने निकले तो उसका सब रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ पाया गया इसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ भी मौके पर एकत्रित हो गई और घटना की सूचना रेलवे पुलिस को दी गई है . मृतक युवक का सव फिलहाल रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ है और रेलवे पुलिस का इंतजार किया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस पर आंगनबाड़ी केंद्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

नवभारत न्यूज़
रीवा, 28 मई, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास नयन सिंह के निर्देशन में अंतरराष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस के अवसर रीवा जिले में विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

बोदाबाग स्थित मुरलीधर कॉलोनी आंगनवाड़ी केंद्र में महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का



आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया, जिसमें सामाजिक संस्था अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी एवं समग्र जन चेतना विकास परिषद की सहभागिता रही कार्यक्रम में बाल संरक्षण

अधिकारी स्वाती श्रीवास्तव, शिक्षिका मनु शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता सुमित सिंह, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, किशोरी बालिकाएं एवं बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। इस दौरान माहवारी स्वच्छता

के महत्व, व्यक्तिगत साफ-सफाई एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारीयां विस्तार से दी गईं। विशेषज्ञों ने किशोरियों को माहवारी के दौरान स्वच्छता बनाए रखने एवं जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान किशोरियों एवं महिलाओं को सेनेटरी पैड का वितरण भी किया गया।

वक्ताओं ने कहा कि माहवारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इससे जुड़े मिथकों एवं झिझक को दूर करने की आवश्यकता है। जागरूकता एवं सही जानकारी से

महिलाओं और किशोरियों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है कार्यक्रम में किशोरियों को रोल प्ले एवं विभिन्न स्लोगन के माध्यम से जानकारी दी गई। इसके अलावा पंचायत सौनौरा सहित जवा ब्लॉक, त्योंथर ब्लॉक एवं जिले के कई आंगनवाड़ी केंद्रों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं एवं किशोरियों को स्वच्छता, पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया।

सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली 9 स्लीपर बसों के पंजीयन निलंबित

► रीवा आरटीओ की बड़ी कार्रवाई

नवभारत न्यूज़
रीवा, 28 मई, यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने हुए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) रीवा द्वारा विभिन्न अंतर्राज्यीय स्लीपर बसों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है।
वाराणसी-नागपुर, प्रयागराज-इंदौर तथा प्रयागराज-रायपुर जैसे प्रमुख मार्गों पर

संचालित होकर रीवा से गुजरने वाली स्लीपर बसों की विशेष जांच के दौरान गंभीर सुरक्षा खामियां पाई गईं परिवहन अधिकारियों, ग्वालियर के निर्देशानुसार की गई इस जांच में पाया गया कि कई बसों में केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 एवं मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत अनिवार्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं थे। बसों में फायर सेफ्टी उपकरण, नहीं लगे पाए गए। इसके अतिरिक्त कई बसों में चालक सीट के पीछे अवैध

पार्टिशन डोर लगाया गया था, जो आपातकालीन स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना गया जांच के दौरान कुल 9 स्लीपर बसों पर कार्रवाई की गई।

इनमें से चार बसें महाराष्ट्र, एक तेलंगाना, एक अरुणाचल प्रदेश, एक उज्जैन, एक आगरा मालवा तथा एक देवास में पंजीकृत थीं। सभी संबंधित वाहनों के विरुद्ध पंजीयन निरस्तीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए उनके पंजीयन

तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं।

आरटीओ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। यह कार्रवाई आम नागरिकों को सुरक्षित एवं भरोसेमंद यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

किसानों को ई-कृषि यंत्र पोर्टल से है अनुदान की सुविधा

नवभारत न्यूज़
रीवा, 28 मई, कृषि को उन्नत बनाने के लिए कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। खेती से जुड़े उपकरणों की खरीद पर किसानों को उनकी पात्रता के अनुसार ई कृषि यंत्र पोर्टल के माध्यम से अनुदान की सुविधा दी जा रही है।
ई कृषि यंत्र पोर्टल पर पंजीयन कराने के बाद किसान ट्रैक्टर, पावर टिलर सहित सभी तरह के शक्ति चालित एवं स्वचालित कृषि यंत्रों पर अनुदान का

लाभ ले सकते हैं। पोर्टल के माध्यम से बिजली एवं डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप, डिंप सिस्टम, स्पिंकलर, रेगनर तथा सिंचाई पाइपलाइन के लिए भी अनुदान की भी व्यवस्था है।
इस संबंध में उप संचालक कृषि यूपी बागरी ने बताया कि ई कृषि यंत्र पोर्टल पर पंजीयन कराने के लिए किसान के युआईडीएआई आधार पंजीयन में अधिकृत फ़िंगर प्रिंट स्कैन डिवाइस के माध्यम से पंजीयन की सुविधा दी गई है। आधार कार्ड और स्वयं की फोटो अपलोड करके भी

किसान पंजीयन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। पंजीयन के साथ-साथ किसान को अनुदान का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र देना होगा। जिसमें इस बात का उल्लेख रहेगा कि गत वर्षों में निर्धारित अवधि में किसान को अनुदान का लाभ नहीं मिला है। पंजीयन होते ही किसान को कृषि सामग्री के लिए जिले और आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध अधिकृत विक्रेताओं की सूची पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी। किसान के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पंजीयन की

मछली पालक किसानों को मिलेगा बीमा योजना का लाभ

नवभारत न्यूज़
रीवा, 28 मई, प्रधानमंत्री मत्स्य कृषक समृद्धि सह योजना के अंतर्गत मछलीपालक किसानों और मछुआरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है।
मछलीपालक किसानों और मछुआरों को बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। उप संचालक

मछलीपालन विभाग डॉ. अंजना सिंह ने बताया कि जलीय कृषि से जुड़े किसानों के लिए बीमा योजना सुरक्षा कवच का कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत नेशनल फिशरीज डिजिटल पोर्टल पर बीमा उत्पाद उपलब्ध कराए गए हैं, जहां मछलीपालक किसान ऑनलाइन पंजीयन कर बीमा खरीद

सकते हैं और सीधे एकमुश्त प्रोत्साहन राशि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिले में मछली पालन को संगठित, सुरक्षित और लाभकारी बनाने के लिए विभाग निरंतर प्रयासरत है। जलीय कृषि बीमा योजना से न केवल मत्स्यपालकों का जोखिम कम होगा, बल्कि जिले में मत्स्य उत्पादन को भी नई दिशा और गति मिलेगी। उप संचालक ने

बताया कि योजना के तहत लागू मत्स्यपालन बीमा योजना से मत्स्यपालकों को प्राकृतिक आपदाओं,रोग अथवा अन्य जोखिमों से होने वाले नुकसान की भरपाई कर उन्हें वित्तीय संकल प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत बीमा प्रीमियम का 40 प्रतिशत भाग भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप वहन किया जाएगा।

गंगा दशहरा के पावन पर्व पर हुए कार्यक्रम

नवभारत न्यूज़
मऊगंज, 28 मई. ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति पटेहरा द्वारा प्रस्फुटन ग्राम पटेहरा में सरपंच प्रतिनिधि एवं समाजसेवी डॉक्टर अर्जुन पटेल जी के मुख्य आतिथ्य में गंगा दशहरा के पावन पर्व पर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मध्यप्रदेश जन अभियान के संभाग समन्वयक श्री प्रवीण पाठक जी के निर्देशन में व जिला समन्वयक जागेश्वर ताम्रकार जी, तथा ब्लॉक समन्वयक डॉ रामानंद पटेल जी के कुशल



मार्गदर्शन में जल स्रोत पूजन, वृक्ष पूजन,श्रमदान, रैली व कलश यात्रा का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति पटेहरा के अध्यक्ष श्रीनिवास पटेल सचिव मदन

लाल कुशावाहाव समिति के सदस्य गण तथा वरिष्ठ समाजसेवी डॉ अर्जुन पटेल, रमेश पांडेय, यज्ञलाल प्रजापति, नवांकुर सखी एवं ग्रामवासी मौजूद रहे।

क्षीरधारा ग्राम योजना से होगा दूध उत्पादन दोगुना

नवभारत न्यूज़
रीवा, 28 मई, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा खेती के साथ-साथ दुधारू पशुपालन पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें कृषि के साथ-साथ उद्यानिकी और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के प्रदेश में दूध उत्पादन को दोगुना करने के संकल्प को पूरा करने के लिए क्षीरधारा ग्राम योजना लागू की गई है। इस योजना

के तहत पशुपालन विभाग अन्य विभागों के सहयोग से दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुआयामी प्रयास कर रहा है। इस संबंध में उप संचालक पशुपालन ने बताया कि क्षीरधारा ग्राम योजना के तहत पशुपालन विभाग द्वारा दुधारू पशुओं के नस्ल सुधार, उन्नत पशुपालन इकाईयों की स्थापना, दुधारू पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा एवं पोषण तथा गोपालन को प्राकृतिक खेती से जोड़कर गांव की तीन वर्ष में क्षीरधारा ग्राम के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है।

किसानों को कृषि ऋण और बीमा सुरक्षा देता है किसान क्रेडिट कार्ड

नवभारत न्यूज़
रीवा, 28 मई, किसानों को फसल की बोनी के समय खाद-बीज, कृषि उपकरण तथा अन्य खेती से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है।

किसानों के पास अधिक पूंजी न होने के कारण खेती में निवेश करने में कठिनाई होती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड सबसे कारगर उपाय है। बैंकों के माध्यम से सभी छोटे-बड़े किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाते हैं। इसके माध्यम से बैंक किसान को कम

अवधि की राशि चार प्रतिशत ब्याज की दर से देती है। किसान फसल आने पर यदि समय पर ऋण राशि चुका देते हैं तो उन्हें अगली फसल के लिए पुनः राशि जारी कर दी जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड में फसलों के लिए सरलता से ऋण मिलने के साथ-साथ बीमा सुरक्षा का भी लाभ दिया जाता है। अधिकतम 70 वर्ष तक के किसानों को किसान क्रेडिट कार्डधारियों होने पर मृत्यु की दशा में परिजनों को 50 हजार रुपए दिए जाते हैं। दुर्घटना में या अन्य कारण से स्थाय विकलांगता होने पर 25 हजार रुपए की सहायता दी जाती है।

इस संबंध में उप संचालक कृषि यूपी बागरी ने बताया कि सभी किसान बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए जमीन का खसरा आवेदन पत्र के साथ बैंक में प्रस्तुत करना होता है। किसान क्रेडिट कार्ड में किसान का नाम,पता, जमीन की जानकारी तथा अवधि अंकित होती है। किसान क्रेडिट कार्ड पाँच वर्ष के लिए वैध होता है। इसके बाद इसकी कार्यशील पूंजी का नवीनीकरण वार्षिक आधार पर किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड में ऋण राशि की अधिकतम सीमा फसल के अनुसार निर्धारित

रहती है। बैंक द्वारा तीन लाख रुपए तक के केसीसी में कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाता है। किसान जितनी राशि का उपयोग करता है उस पर ही ब्याज देय होता है। किसान क्रेडिट कार्ड में ब्याज की दर सात प्रतिशत निर्धारित है। लेकिन किसान समय पर ऋण राशि अदा कर देता है तो उसे तीन प्रतिशत ब्याज में छूट मिलती है। किसान को केवल चार प्रतिशत ब्याज ही देना होता है। किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किसान अपनी खेती को आधुनिक बना रहे हैं। खेती में निवेश के लिए उन्हें साहूकरों के भी चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं।